कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

लूट के मामले का फरार आरोपी पुलिस गिरफ्त में

जयपुर 28 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने बताया कि जिले के पुलिस थाना डीग क्षेत्र के बोलावाडा थाना पालनपुर जिला बनासकाठा गुजरात निवासी श्री धासुरा मुस्ताक अहमद पुत्र साहिबखान जाति मुसलमान ने गांव लहचोरा (दौलतपुर) थाना गोर्वधन जिला मथुरा यू0पी0 निवासी मौसम पुत्र हसमल जाति सिंधी मेव वगैराह 10–11 बदमाशों के विरूद्व प्रार्थी को ओ0एल0एक्स0 पर सस्ते दामों में गाडी बेचने का झांसा देकर बुलालेने तथा गांव इकलरा के जंगल में ले जाकर प्रार्थी व साथियों को भय दिखाकर 1.50 लाख रूपये व तीन मोबाईलों को लूट कर लेजाने का एक मामला दिनांक 15 अगस्त 2017 को थाना डीग पर मु0नं0 334/17 धारा 395 भा0द0स0 में पंजीवद्व कराया था।

उन्होंने बताया कि थानाधिकारी श्री कन्हैयालाल पु0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के आरोपी **मौसम पुत्र हसमल जाति सिंधी मेव निवासी लहचोरा (दौलतपुर) थाना गोर्वधन जिला मथुरा यू0पी0** को गिरफतार किया गया है।

राही/सन्तरा/625/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

प्रदेश में विभिन्न अपराधों में 441 गिरफ्तार

जयपुर, 28 अगस्त। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकडने का अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 441 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महिलाओं के साथ छेडछाड, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये थे।

पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेडछाड करते पाये गये 2 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 117 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 245 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 77 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 441 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राही/सन्तरा/624/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।